सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 23 / 2015

बउनवान

1. बृजमोहन सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद
2. उदयभान सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तहशाहाबाद

(अपीलांट)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज.)
2- ग्राम पंचायत दीलोद हाथी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दीलोद हाथी तह. अटरू

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध इन्तकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 वाके ग्राम भकरावदा
तहसील अटरू वास्ते नाम दुरूस्ती

उपस्थित :— 1— श्री गोविन्द सिंह अभिभाषक (अपीलांट)
2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 11.06.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के खातेदारी की शामलाती आराजीयात खाता संख्या 125 की खसरा नंबर 5 रकबा 0.76 है., 19 रकबा 0.94 है., 37 / 625 रकबा 0.03 है., 46 रकबा 0.05 है., 47 रकबा 0.04 है., 49 रकबा 0.84 है., 109 रकबा 1.25 है., 109 / 819 रकबा 0.24 है., 110 रकबा 2.11 है., 111 / 652 रकबा 0.10 है. कुल किता 10 रकबा 6.36 है. वाके माल भकरावदा तहसील अटरू में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में शामलाती खातेदारी में अपीलांट के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू व ग्राम पंचायत हाथी दीलोद ने इन्तकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 खोलते समय गलती से अपीलांट बृजमोहन का नाम मुकट सिंह व इसी प्रकार अपीलांट क्रम 2 उदयभान सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट क्रम 1 का वास्तविक नाम बृजमोहन सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद एवं अपीलांट क्रम 2 का नाम उदयभान सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद है। अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से अपीलांट को किसान क्रेडिटकार्ड व अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः इन्तकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट क्रम 1 का नाम मुकुट के स्थान पर बृजमोहन सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद एवं इसी प्रकार अपीलांट क्रम 2 का नाम लक्ष्मण के स्थान पर उदयभान सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। रेस्पो. क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट क्रम 1 व 2 के नाम इंतकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 ग्राम भकरावदा में सहवन से राजस्व कर्मियों ने मुकुट सिंह व लक्ष्मण सिंह अंकित कर दिये जबकि वास्तव में अपीलांट क्रम 1 का नाम बृजमोहन सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद एवं अपीलांट क्रम 2 का नाम उदयभान सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी फरेदुआ उपरेटी तह. शाहाबाद है। उक्त इन्तकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 खातेदार भंवरसिंह, घासीलाल एवं जगन्नाथ फोत होने पर वारिसों के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलांटगण के नाम गलत दर्ज होने से अपीलांट को किसान क्रेडिटकार्ड व अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः इन्तकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपील लगभग 14 वर्ष की समयावधि गुजरने के बाद पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि ग्राम भकरावदा का इन्तकाल नंबर 85 दिनांक 18.10.2001 मजमे आम में प्रशासन गांव के संग शिविर हाथी दीलोद में खोला जाकर तस्दीक किया गया है। मजमे आम में उपस्थित मोतबिरान से वारिसान की जानकारी प्राप्त कर ही नाम दर्ज किये गये हैं। साथ ही अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे ज्ञात हो सके कि मुकुट सिंह एवं बृजमोहन सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं तथा लक्ष्मण सिंह एवं उदयभान सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं कि अपीलांटगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित हो सके मृतक भंवरसिंह एवं जगन्नाथ के वारिस क्रमशः अपीलांट क्रम 1 व अपीलांट क्रम 2 हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांटगण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर बारां